न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

किशन पुत्र श्रीफूल जाति गुर्जर आयु 40 साल निवासी राडौली तहसील व जिला करौली (राज0) — अपीलाण्ट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार तहसील करौली जिला करौली (राज0) — रेस्पोण्डेण्ट

अपील व नाराजगी मुकदमा उनवानी सरकार बनाम किशन मु0नं0 10/2019 निर्णय दिनांक 26.06.2019

निर्णय

दिनांक 22.10.2019

यह अपील भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम सैंगरपुरा के आराजी खसरा नंबर 1627 रकबा 0–10 बीघा पर हरा चारा व घेर बनाकर, 0–02 बीघा पर पाटौरपोश निर्माण कर एवं 0–08 विस्वा पर कब्जा जोत कर कुल 1–00 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर लेने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा कब्जे की पुष्टि करने के आधार पर तहसीलदार करौली द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध दिनांक 26.06.2019 को शास्ति, बेदखली एवं एक माह (30 दिन) के सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया गया है जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जेर अपील दिनांक 26.06.2019 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व तथ्यों के विपरीत होने के निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलाण्ट को दिनांक 26.06.2019 को उपस्थित आने का नोटिस दिया जाना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थी को बगैर सुने दिनांक 26.06.2019 को प्रार्थी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही कर निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को बगैर जवाबदेही, सुनवाई व साक्ष्य का मौका दिये निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल पारित करने में कानूनी भूल की है। विधि का सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि दण्डादेश पारित करने से पूर्व पीडित व्यक्ति को सुना जाना आवश्यक है। इसलिये निर्णय निरस्त होने योग्य है। निर्णय में दर्ज सम्वत 2076 से पूर्व का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई नोटिस प्रार्थी को नही दिया गया है। प्रार्थी किसी भी प्रकार पश्चातवर्ती अतिचारी साबित नही है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिचारी मानने में भारी कानूनी भूल की है। निर्णय निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य नही ली है। बिना किसी साक्ष्य सबूत के केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर विश्वास कर निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। पटवारी हल्का द्वारा कभी भी मौके पर खातेदारी भूमि के अलावा अन्य किसी भूमि चारागाह अथवा सिवायचक भूमि का किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान अपीलाण्ट को अथवा किसी भी ग्रामीण को नही दिया है। प्रार्थी का बोर प्रार्थी की खातेदारी में है। प्रार्थी की पाटोर पूरे गांव की आबादी के

जिला कलक्टर 22/10/19
करौली

बीचो–बीच बनी हुई है। किसी भी प्रकार का कोई नया वर्तमान अतिक्रमण अपीलाण्ट का नही है। प्रार्थी की पाटोर पुश्तैनी है और पूरा गांव पुश्तैनी तौर पर उसी स्थान पर बसा हुआ है जिसमें पचासों परिवार मय बाल–बच्चों के रिहायश करते चले आ रहे है। प्रार्थी का बोर भी प्रार्थी के पिता किशन के जीवनकाल का है जो काफी पुराना है कभी आज तक पटवारी हल्का अथवा गिरदावर अथवा तहसीलदार महोदय द्वारा प्रार्थी को बोर अथवा गांव में बनी आबादी को चारागाह में नही बताया गया है। ना ही प्रार्थी की कही भी कोई 8 विस्वा जमीन पर जोत लगी हुई है। इस प्रकार पटवारी हल्का द्वारा साजिशी तौर पर गलत रिपोर्ट की है। निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

प्रतिनिधि प्रत्यर्थी ने बहस में कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम सैंगरपुरा के आराजी खसरा नंबर 1627 रकबा 0–10 बीघा पर हरा चारा व घेर बनाकर, 0–02 बीघा पर पाटौरपोश निर्माण कर एवं 0–08 विस्वा पर कब्जा जोत कर अतिक्रमण कर लेने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा पेश की गई थी जिसकी पुष्टि भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई है। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया जो अपीलार्थी के पुत्र पर तामील होकर प्राप्त हुआ। अपीलार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ जिसके कारण अपीलार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलार्थी का कब्जा पश्चात्वर्ती है जिसके कारण अपीलार्थी को सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। कार्यवाही विधिसम्मत है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थी को जारी नोटिस उसके पुत्र पर तामील हुआ है जो नाबालिग था। फिर भी अपीलार्थी को नोटिस प्राप्त होने एवं सुनवाई की तिथि की जानकारी हो गई थी लेकिन अपीलार्थी जानबूझकर सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुआ और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही से बचने के लिए नाबालिग पुत्र पर तामील होने का बहाना ढूंढ रहा है। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने एवं इस न्यायालय में अपील पेश करने से पूर्व अपीलार्थी को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी है फिर भी अपीलार्थी द्वारा सरकारी भूमि से अपना अतिक्रमण हटाया नहीं गया है जो उसके इरादतन राजकीय भूमि चारागाह पर अतिक्रमण करने की श्रेणी में आती है। राजकीय भूमि खसरा नं. 1627 किस्म गै.मु. चारागाह से अपीलार्थी द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटवाया जाना आवश्यक है। अतः हम अपील अपीलाण्ट को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। तहसीलदार करौली का आदेश दिनांक 26.06.2018 यथावत् रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

22/10/19

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली